(भारत के राजपत्र असाधारण भाग I, खंड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन,

सार्वजनिक सूचना सं. 25 /2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः 14 अगस्त, 2019

विषयः प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.12 (vi) में संशोधन और प्रक्रिया पुस्तक 2015–2020 में परिशिष्ट 4त को जोड़ने के संबंध में।

समय–समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार प्रक्रिया पुस्तक 2015–2020 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :–

1. **प्रक्रिया पुस्तक 2015–2020 का मौजूदा पैरा 4.12 (vi) (सार्वजनिक सूचना सं. 64, दिनांक 27.12.2018 द्वारा यथा संशोधित) निम्नानुसार पढ़ा जाता है:–**

"पैरा 4.07 के तहत प्राप्त किए गए किसी भी अग्रिम प्राधिकार पत्र के संबंध में दिनांक 01.04.2015 को अथवा इसके बाद विदेश व्यापार महानिदेशालय के कार्यालय में किसी भी मानदंड समिति (एन सी) द्वारा अनुसमर्थित मानदंड विदेश व्यापार नीति की संपूर्ण अवधि अर्थात दिनांक 31.03.2020 तक अथवा इस अनुसमर्थन की तिथि से तीन वर्षों की अवधि, जो भी बाद में हो, के लिए वैध होंगे। चूंकि मानदंड समितियों के सभी निर्णय डीजीएफटी की वेबसाइट पर कार्यवृत्त के रूप में उपलब्ध हैं, अग्रिम प्राधिकार पत्र के सभी अन्य आवेदक इन मानदंडों की वैधता अवधि के दौरान पुनरावृत्ति के आधार पर ऐसे अनुसमर्थित मानदंडों के आधार पर अपने प्राधिकार पत्र हेतु आवेदन करने और प्राप्त करने के लिए भी पात्र हैं।"

प्रक्रिया पुस्तक 2015–2020 के संशोधित पैरा 4.12 (vi) को निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः–

"पैरा 4.07 के तहत प्राप्त किए गए किसी भी अग्रिम प्राधिकार पत्र के संबंध में दिनांक 01.04.2015 को अथवा इसके बाद विदेश व्यापार महानिदेशालय के कार्यालय में किसी भी मानदंड समिति (एन सी) द्वारा अनुसमर्थित मानदंड विदेश व्यापार नीति की संपूर्ण अवधि अर्थात दिनांक 31.03.2020 तक अथवा इस अनुसमर्थन की तिथि से तीन वर्षों की अवधि, जो भी बाद में हो, के लिए वैध होंगे। चूंकि मानदंड समितियों के सभी निर्णय डीजीएफटी की वेबसाइट पर कार्यवृत्त के रूप में उपलब्ध हैं, अग्रिम प्राधिकार पत्र के सभी अन्य आवेदक इन मानदंडों की वैधता अवधि के दौरान पुनरावृत्ति के आधार पर ऐसे अनुसमर्थित मानदंड के आधार पर अपने प्राधिकार पत्र हेतु आवेदन करने और प्राप्त करने के लिए भी पात्र है। **यह पैरा परिशिष्ट 4त के अंतर्गत सूचीबद्ध मदों हेतु आवेदन किए गए प्राधिकार पत्रों के लिए लागू नहीं है।**"

2. प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 में एक नया परिशिष्ट सं. 4त जोड़ा जाता है।

परिशिष्ट 4त

(सार्वजनिक सूचना सं. 64 दिनांक 27.12.2018 के दायरे से बाहर की जाने वाली मदें)

क्र.सं.	आयात मद का नाम	चार अंकों का आईटीसी एचएस
1.	काजू किसी भी रुप में	0801
2.	विदेश व्यापार नीति के तहत सभी प्रतिबंधित/निषिद्ध मदें	यथा लागू
3.	विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के पैरा 4.11 के अंतर्गत आने वाली मदें	यथा लागू
4.	परिशिष्ट 4ञ के तहत पूर्व आयात शर्तों के अंतर्गत आने वाली मदें	यथा लागू

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः परिशिष्ट 4त के अंतर्गत आने वाली मदों को हटाने के लिए प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.12(vi) को संशोधित किया जाता है। परिशिष्ट 4त को अधिसूचित किया जाता है।

(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft.@nic.in

(फाइल सं. 01/94/180/34/एएम20/पीसी–4 से जारी)